भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 232
14 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: विदेशी फलों की खेती

***232. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में किवी, रेड ग्रेप, पैशन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट जैसे विदेशी फलों की खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजना बनाई गई है अथवा योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इन फलों का कृषि क्षेत्र एवं इनका योगदान उत्पादन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना है;

(ग) क्या सरकार इन फलों से संबंधित पौधारोपण सामग्री के उत्पादन और इनके लिए कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए योजनाएं कार्यानवित कर रही हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ड.) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विदेशी फलों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(च) सरकार द्वारा देश में विदेशी फलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क)से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विदेशी फलों की खेती" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तरार्थ श्री श्रीरंग आप्पा बारणे तथा श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 232 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्र प्रायोजित योजना को फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं। योजना के कार्यान्वयन के कारण बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2020-21 (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) में अब तक के उच्चतम स्तर अर्थात 331.05 मिलियन टन तक पहुंच गया है।

एमआईडीएच के तहत, लाल अंगूर सहित कीवी, पैशन फ्रूट, अंगूर आदि जैसी फल फसलों को अधिक लागत वाली फसलों के अंतर्गत कवर किया जाता है और क्षेत्र विस्तार के लिए रोपण सामग्री पर व्यय, ड्रिप सिंचाई की सामग्री की लागत, ट्रेलीज और आईएनएम/आईपीएम आदि की लागत को पूरा करने के लिए प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक अधिकतम लागत (4 लाख रूपए/हेक्टेयर) के 40% की सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में सहायता अधिकतम लागत का 50% है।

(ख): देश में इन विदेशी फलों के क्षेत्र और उत्पादन का विवरण **अनुबंध I-IV** में दिया गया है।

(ग): विदेशी फलों सहित अधिक लागत वाली फल फसलों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए, नई हाई-टेक नर्सरी, छोटी नर्सरी, टिशू कल्चर (टीसी) यूनिटों और मौजूदा टीसी यूनिटों के उन्नयन की स्थापना के लिए एमआईडीएच के तहत सहायता प्रदान की जाती है। हाई-टेक नर्सरी (प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर तक सीमित) स्थापना के लिए आनुपातिक आधार पर परियोजना आधारित गतिविधी के रूप में अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए, अधिकतम 40 लाख प्रति यूनिट के अध्यधीन 100 लाख रूपए की सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत की दर से और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी लागत के 40% की दर से सहायता प्रदान की जाती है छोटी नर्सरी (प्रति लाभार्थी 1 हेक्टेयर तक सीमित) की स्थापना के लिए 7.50 लाख रुपए/यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में लागत की क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी की सहायता प्रदान की जाती है। टीसी यूनिटों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को कुल लागत का 100% और निजी क्षेत्र के मामले में, 250 लाख रुपए/यूनिट की अधिकतम लागत के 40% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी की सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): उपर्युक्त फलों सहित बागवानी के विकास के लिए एमआईडीएच के तहत आवंटित राज्य-वार निधि **अनुबंध-V** में दी गई है।

(ड. एवं च): एमआईडीएच के तहत, इन फलों के आयात को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त होने वाली अभिज्ञात 10 विदेशी फसलों के क्षेत्र विस्तार के तहत कुल 8951.5 हेक्टेयर को मंजूरी दी गई है। 10 विदेशी फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार और फसल-वार विवरण **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं 232

अनुबंध-I

कीवी का राज्य-वार क्षेत्र एवं उत्पादन

क्षेत्र '000 हेक्टेयर' में

उत्पादन '000 एमटी में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21 (तृतीय अनुमान)	
		A	P	A	P	A	P
1	अरुणाचल प्रदेश	3.37	7.43	3.37	7.43	3.37	7.43
2	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.25	0.18	0.68	0.18	0.13
3	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मणिपुर	0.14	1.06	0.27	1.88	0.31	3.01
5	मिजोरम	0.30	1.03	0.30	1.03	0.30	1.03
6	नागालैंड	0.26	1.78	0.27	1.80	0.30	1.81
7	सिक्किम	0.26	0.97	0.26	0.97	0.40	2.15
	अखिल भारत कुल	**4.51**	**12.52**	**4.65**	**13.79**	**4.86**	**15.56**

अनुबंध-II

अंगूर का राज्यवार क्षेत्र एवं उत्पादन

क्षेत्र '000 हेक्टेयर' में

उत्पादन '000 एमटी में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21 (तृतीय अनुमान)	
		A	P	A	P	A	P
1	आंध्र प्रदेश	1.06	21.20	2.34	46.82	1.24	24.89
2	हरियाणा	0.04	0.16	0.04	0.19	0.04	0.29
3	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.13	0.07	0.16	0.07	0.04
4	जम्मू और कश्मीर	0.33	1.04	0.29	1.19	0.30	1.54
5	कर्नाटक	29.06	643.25	29.20	710.81	32.48	760.50
6	केरल	0.01	0.12	0.01	0.12	0.01	0.12
7	मध्य प्रदेश	0.08	1.28	0.08	1.34	0.09	1.36
8	महाराष्ट्र	103.66	2283.96	112.61	2350.37	112.60	2351.18
9	मणिपुर	0.01	0.05	0.01	0.06	0.02	0.22
10	मिजोरम	2.30	16.50	2.33	17.30	2.33	17.30
11	नागालैंड	0.16	0.30	0.12	0.23	0.12	0.21
12	पंजाब	0.29	8.26	0.28	8.45	0.23	6.98
13	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
14	तमिलनाडु	2.06	56.56	1.99	33.11	2.33	52.93
15	तेलंगाना	0.39	7.92	0.31	11.31	0.34	11.15
	अखिल भारत कुल	**139.14**	**3032.81**	**149.37**	**3170.15**	**151.94**	**3217.64**

<u>**लो.स.ता.प्र.सं 232**</u>

<u>**अनुबंध-III**</u>

पैशन फ्रूट का राज्य-वार क्षेत्र एवं उत्पादन

क्षेत्र '000 हेक्टेयर' में

उत्पादन '000 एमटी में

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21 (तृतीय अनुमान)	
		A	P	A	P	A	P
1	केरल	0.14	15.15	0.14	15.15	0.14	15.15
2	मणिपुर	4.65	48.00	4.45	23.05	3.71	37.73
3	मिजोरम	0.98	2.11	0.98	2.11	0.98	2.11
4	नागालैंड	6.28	15.80	6.21	15.48	6.19	15.23
5	सिक्किम	0.19	0.23	0.19	0.23	0.05	0.07
6	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
	अखिल भारत कुल	**12.24**	**81.29**	**11.97**	**56.04**	**11.07**	**70.31**

लो.स.ता.प्र.सं 232

अनुबंध-IV

प्रमुख कमलम (ड्रैगन फ्रूट) उत्पादक राज्यों का क्षेत्र और उत्पादन

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

उत्पादन क्विंटल में

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21 (तृतीय अनुमान)	
		A	P	A	P	A	P
1	मिजोरम	1183	1809.99	1383	2115.99	2183	2584.10
2	नागालैंड	95	76.80	95	110.50	95	127.70
3	गुजरात	15.00	0.00	35.17	0.00	40.10	577.23
4	कर्नाटक	35.20	5588.35	39.18	6220.22	222.22	35279.65

अनुबंध-V

वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	कार्यान्वयक एजेंसी	आवंटन (जीओआई)	आवंटन (जीओआई)	आवंटन (जीओआई)	आवंटन (जीओआई)
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.00	2.00	3.00	2.10
2	आंध्र प्रदेश	114.00	114.00	120.00	108.00
3	अरुणाचल प्रदेश	26.00	26.00	22.00	17.60
4	असम	84.00	84.00	60.00	54.00
5	बिहार	22.50	22.50	25.00	20.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	123.00	123.00	110.00	88.00
8	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.50	0.50	0.35
9	दमन और दीव	1.50	1.50	1.00	0.80
10	दिल्ली	0.50	0.50	0.00	0.00
11	गोवा	4.50	3.00	3.00	2.40
12	गजरात	127.00	127.00	110.00	88.00
13	हरियाणा	110.00	110.00	120.00	96.00
14	हिमाचल प्रदेश	27.50	55.00	55.00	44.00
15	जम्म और कश्मीर	47.50	135.30	100.00	35.00
16	झारखंड	34.00	34.00	30.00	21.00
17	कर्नाटक	130.00	130.00	130.00	117.00
18	केरल	39.50	39.50	40.00	28.00
19	लक्षदवीप	0.80	0.50	0.50	0.40
20	मध्य प्रदेश	38.50	38.50	65.00	52.00
21	महाराष्ट्र	158.00	158.00	130.00	91.00
22	मणिपर	37.00	37.00	26.00	23.40
23	मेघालय	42.00	42.00	25.00	17.50
24	मिजोरम	30.00	30.00	30.00	27.00
25	नागालैंड	32.00	32.00	26.00	23.40
26	ओडिशा	89.00	89.00	67.00	46.90
27	पुडुचेरी	3.00	3.00	3.00	2.10
28	पंजाब	71.00	71.00	47.00	32.90
29	राजस्थान	90.50	90.50	60.00	42.00
30	सिक्किम	25.00	25.00	25.00	22.50
31	तमिलनाड	98.00	98.00	115.00	103.50
32	तेलंगाना	28.00	28.00	28.00	19.60
33	त्रिपरा	44.00	44.00	26.00	18.20
34	उत्तर प्रदेश	67.00	67.00	80.00	64.00
35	उत्तराखंड	55.00	55.00	55.00	44.00
36	पश्चिम बंगाल	44.00	44.00	34.00	23.80
	कुल	**1846.8**	**1960.3**	**1772.00**	**1376.45**

लो.स.ता.प्र.सं 232

अनुबंध-VI

वर्ष 2021-22 के दौरान एमआईडीएच के तहत विदेशी फसलों को सौंपे गए लक्ष्यों का राज्य-वार और फसल-वार विवरण निम्नानुसार है:

इकाई हेक्टेयर में

राज्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	एवोकाडो (बटर फ्रूट)	नील बादरी (ब्लूबेरी)	कमलम (ड्रैगन फ्रूट)	अंजीर (फिग)	कीवी फल (कीवी)	मैंगो स्टीन	तेंदू फल (परसीमन)	पैशन फ्रूट	राम बुटान	स्ट्राबेरी	**कुल**
आंध्र प्रदेश	4	0	210	72	0	0	0	5	0	15	**306**
बिहार	0	0	10	0	0	0	0	0	0	50	**60**
छत्तीसगढ	0	0	350	0	0	0	0	0	0	40	**390**
गोवा	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	**5**
गुजरात	0	0	350	50	0	0	0	0	0	50	**450**
हरियाणा	0	0	8	3	0	0	0	0	0	500	**511**
झारखंड	0	0	20	0	0	0	0	0	0	84	**104**
कर्नाटक	88	0	300	100	0	8	0	2	60	15	**573**
केरल	40	0	250	0	0	60	0	300	200	70	**920**
मध्य प्रदेश	0	0	10	10	0	0	0	10	0	30	**60**
महाराष्ट्र	5	10	150	50	5	0	50	5	0	100	**375**
ओडिशा	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	**50**
पुदुचेरी	0	0	0.5	5	0	0	0	0	0	0	**5.5**
पंजाब	0	0	10	0	0	0	0	0	0	7	**17**
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
तमिलनाडु	200	0	100	100	50	0	0	0	0	50	**500**
तेलंगाना	0	0	60	35	0	0	0	0	0	0	**95**
उत्तर प्रदेश	0	0	100	33	0	0	0	0	0	50	**183**
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
अरुणाचल प्रदेश	20	20	50	0	160	20	20	20	20	0	**330**
असम	0	0	250	0	0	0	0	0	350	500	**1100**
मणिपुर	50	0	100	0	40	0	50	50	0	0	**290**
मेघालय	30	0	50	0	28	0	0	0	0	37	**145**
मिजोरम	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	**1000**
नागालैंड	0	0	550	0	250	0	50	0	0	0	**850**
सिक्किम	16	0	16	0	0	0	0	0	0	12	**44**
त्रिपुरा	15	0	100	0	0	10	10	0	10	25	**170**
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	**20**
जम्मू और कश्मीर	0	0	2	2	6	0	1	0	0	20	**31**
उत्तराखंड	12	20	20	0	200	0	0	15	0	100	**367**
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
कुल	**482**	**50**	**4118.5**	**460**	**739**	**98**	**181**	**407**	**640**	**1776**	**8951.5**

******